

14-5-24

रा.प.न.प.न.प. 24

पत्रावली पेश हुई, तकीव प्राथीगिठा उपस्थित  
तकीव, विपक्षी हां 2, 13, 14, 18, 20 के विकट कोरे कार्यवाही  
नहीं चाहते हैं। विपक्षीगठ के सम्मन बाद तामिल  
होकर प्रात हुए जिसे शाशफ किये गये। विपक्षीगठ  
को कितनी मर्चा ककु-ककु कर आवाफे पिलायी  
जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विकट एवतरफा  
कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाग है। तकीव  
प्राथीगिठा का प्राचज स्वीकार किया जाकर निरपि  
सुधकसे लिखा जाकर शाशफ किया गया। पत्रावली  
फैसल सुमार होकर नम्बर से सम हो।

✓✓✓

लक्ष्मण अधिकारी  
माण्डल



उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

कार्य- मगोज, आर.ए.एस.

- 133/23 प्रा.पत्र

शान सिंह 510 श्री बाबू सिंह राजपूत निवसी- बागपुरा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)

प्राणी

बनाम

श्री 510 श्री हिममत सिंह राजपूत निवसी- बागपुरा तहसील-माण्डल (वर्ग 1)  
(सिद्धांतित प्राणपत्र)

- निवसीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14.5.24


::आदेश::

से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
बागपुरा.....पटवार हल्का.....रईका.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की  
सिद्धांतित प्लॉट नं. 106.....कुल कित्ता.....2.6.....रकबा.....10.8884.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि  
के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता  
समें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.9.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का  
। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए  
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागपुरा.....पटवार  
रईका.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. सिद्धांतित 10.....  
2.6.....रकबा.....10.8884.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी निये  
पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मीथारस  
100.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की भौजुदगी में गौको व कब्जे  
ति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर  
हीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की  
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

पत्र नं. 133/23 प्रा.पत्र